25

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 5–2/2014/सात–(एक) भोपाल, दिनांक 04/01/2018

प्रति,

समस्त संभाग आयुक्त/कलेक्टर
मध्यप्रदेश

**विषयः– समाधान 1 दिवस अंतर्गत सेवा क्रं. 4.2 "चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय" प्रक्रिया।**

……

1. **सेवा का उद्देश्यः–** नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से 1 दिवस में सेवा क्रं. 4.2 "चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय" प्रदान किये जाने हेतु इस सेवा को समाधान 1 दिवस के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है।
2. **पदाभिहित अधिकारी का पद नाम–** जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।
3. **पात्रता की आवश्यक शर्तेः–** कोई भी नागरिक।
4. **आवश्यक दस्तावेजः–** इस सेवा के लिये किसी दस्तावेज की आवश्यकता नही है।
5. **आवेदन करने का स्थानः–** लोक सेवा केंद्र
6. **लोक सेवा केंद्र पर आवेदन करने की प्रक्रियाः–**
   - 6.1 सेवा प्राप्त करने के लिये कंडिका 3 में दी गयी पात्रता अनुसार कंडिका 4 में उल्लेखित दस्तावेज के साथ पूर्ण आवेदन ही लोक सेवा केंद्र में स्वीकार किये जायेंगे।
   - 6.2 आवेदन का पंजीयन लोक सेवा केन्द्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा।
   - 6.3 आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में आवेदक को प्रदाय की जावेगी।
   - 6.4 आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा मोबाईल नम्बर अनिवार्य है इसके अलावा अगर आधार एवं ईमेल एड्रेस (यदि उपलब्ध हो) भी भरा जायेगा।
   - 6.5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी में किया जायेगा।
7. **आवेदन निराकरण करने की प्रकियाः–**
   - 7.1 आवेदक द्वारा आवेदन लोक सेवा केन्द्र में सबमिट करते ही आवेदन पत्र ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ही संबंधित पदाभिहित अधिकारी को उनके एकाउंट में प्रदर्शित होने लगेगा।

7.2 पदाभिहित अधिकारी द्वारा ऑनलाइन पहले आयें सो पहले पायें आधार पर ही आवेदन का निराकरण पोर्टल mpedistrict पर किया जाएगा।

7.3 इस सेवा हेतु खसरा/खतौनी की प्रति ऑनलाइन उपलब्ध रिकार्ड से निकालकर जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर आवेदक को प्रदाय की जाएगी।

7.4 यदि किसी कारण सेवा अमान्य/निरस्त की जाती है, तो सेवा निरस्त/अमान्य करने का स्पष्ट युक्तियुक्त कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

7.5 इस तरह जारी होने वाली समस्त पंजीयन/सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी वेबसाइट/पोर्टल पर संधारित की जायेगी।

8. **शुल्क–** इस सेवा को प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय रू. 5/– का न्याय शुल्क का टिकट चस्पा करना होगा। साथ ही मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के नियम 56 के अन्तर्गत :–

एकसाला/पांचसाला खसरे के प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक के लिए या प्रत्येक खाता धृति जमाबंदी (बी–1/खतौनी), अधिकार अभिलेख, खेवट के लिए मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के नियम 56(क) के अन्तर्गत रू. 10/– की दर से न्यायालय फीस लेबल के रूप में चिपकाई जायेगी।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के नियम 56(क) के अन्तर्गत एकसाला/पांचसाला खसरे के प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक के लिए या प्रत्येक खाता धृति जमाबंदी (बी–1/खतौनी), अधिकार अभिलेख, खेवट के लिए रुपए 10/– की दर से प्रतिलिपिकरण फीस देय होगी।

- लोक सेवा केन्द्र पर खसरें की प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवदेन पत्र पर अधिकतम 10 खसरा नम्बरों की एक या अधिक प्रतियों के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
- एक आवेदन पर बी–1 के एक पूर्ण खाते/संयुक्त खाते की एक या अधिक नकल ली जा सकेगी, परन्तु प्रत्येक पृथक खाते के लिए पृथक आवेदन देना होगा।
- लोक सेवा केन्द्र पर खसरे तथा बी–1 की प्रति प्राप्त करने संबंधी एक आवेदन पर अधिकतम 10 खसरा नंबरों तथा एक खाते की नकल एक या अधिक प्रतियों में ली जा सकेगी।

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 अन्तर्गत न्यायालय फीस स्टाम्प का मूल्य प्रभारित की गई प्रतिलिपिकरण फीस की रकम के बराबर होगा)

लोक सेवा केन्द्र में आवेदकों की सुविधा के लिए रू. 5/– के न्याय शुल्क टिकिट का स्टाक एवं रू. 10/– के न्यायालय फीस लेबल का स्टाक रखा जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लोक सेवा केन्द्र के संचालक को स्टाम्प वेंडर की अनुज्ञप्ति दी जाये।

खसरा/खतौनी की प्रतिलिपि के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित राशि लोक सेवा केन्द्र द्वारा जिला ई–गर्वनेंस सोसायटी को जमा किये गये टॉपअप के विरूद्व समायोजित होगी। माह के दौरान इस तरह जिला ई–गर्वनेंस सोसायटी को प्राप्त शुल्क अगले माह के प्रथम सप्ताह राजस्व प्राप्तियों के शीर्ष 0029 में चालान द्वारा कोषालय में जमा किया जायेगा और इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को दी जायेगी।

लोक सेवा केन्द्र से आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क 30/– रूपये केंद्र संचालक को देना होगा।

9. **अपील–** समाधान 1 दिवस प्रक्रिया में भी अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :–

   **i.** आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।

   अथवा

   **ii.** आवेदन का निराकरण समय–सीमा में न होने पर।

**अपील निम्नानुसार की जा सकेंगी–**

| सेवा क्रं. | सेवा | प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम | प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय–सीमा | द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय | अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व | 07 कार्य दिवस | कलेक्टर |

10. **आदेश/निर्देशों का निरसन/अधिक्रमण–** परिपत्र क्रं. 5–2/2014/सात–(एक), दिनांक 28/01/2014 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता हैं।

(अरूण पाण्डेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ. क्रमांक. एफ 5-2/2014/सात–(एक)
भोपाल, दिनांक 04/01/2018

प्रतिलिपि:–

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
6. गार्ड फाइल।

(अरूण पाण्डेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग